

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.-07723-223305, फैक्स नं.-07723-223302, Email Id-msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक/361/क/एस.डब्ल्यू/2020

महासमुन्द, दिनांक 07/05/2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/206/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक/208/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 24.03.2020, आदेश क्रमांक/231/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 30.03.2020, आदेश क्रमांक/238/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक/259/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 09.04.2020, आदेश क्रमांक/272/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 14.04.2020, आदेश क्रमांक/295/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 21.04.2020, आदेश क्रमांक/313/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 24.04.2020, आदेश क्रमांक/346/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 03.05.2020, आदेश क्रमांक/353/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 04.05.2020 एवं आदेश क्रमांक/355/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुन्द दिनांक 05.05.2020 द्वारा आदेश प्रसारित किये गए हैं।

02/ इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेशों के तहत जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 17.05.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया गया है।

03/ इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त तीनों आदेशों की कंडिका 'स' में वर्णित कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 15.04.2020, 16.04.2020, 01.05.2020 के परिपालन में महासमुन्द जिले के ग्रीन जोन में होने के फलस्वरूप कंडिका 'स' वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय/प्रतिष्ठान/वस्तुओं/सेवाओं को भी शर्तों के अधीन (लॉकडाउन) से छूट प्रदान की जाती है साथ ही छ.ग. शासन के शनिवार एवं रविवार को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के निर्देश के अनुक्रम में कंडिका 'स' वर्णित सूची में शनिवार एवं रविवार को शर्तों के अधीन कार्यालय/प्रतिष्ठान/वस्तुओं/सेवाओं को (लॉकडाउन) से दी गई छूट में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

स- 26. निम्न वस्तुओं/सेवाओं से संबंधित गतिविधियां :-

44. इस कंडिका में निम्न संशोधन किया जाता है :-

"छड़, सीमेंट की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (मंगलवार एवं गुरुवार) को खुली रहेंगी। शेष दिवस व्यापारी होम डिलिवरी कर सकेंगे।"



क्रमशः 02--

45. इस कड़िका में निम्न संशोधन किया जाता है :-
"पंखा, कूलर, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लैक्स की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) को खुली रहेंगी। शेष दिवस व्यापारी पंखा, कूलर की होम डिलिवरी कर सकेंगे।"
46. इस कड़िका में निम्न संशोधन किया जाता है :-
"स्टेशनरी एवं किताब की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (मंगलवार एवं गुरुवार) को खुली रहेंगी।"
49. इस कड़िका में निम्न संशोधन किया जाता है :-
ऑटोमोबाईल, ऑटो पार्ट्स, सायकल एवं रिपेयर की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (सोमवार एवं गुरुवार) को खुली रहेंगी।
50. इस कड़िका में निम्न संशोधन किया जाता है :-
हार्डवेयर, फर्नीचर एवं पूजा सामान की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) को खुली रहेंगी।
51. इस कड़िका में निम्न संशोधन किया जाता है :-
फैंसी स्टोर्स, चश्में की दुकान एवं जनरल स्टोर्स की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस (मंगलवार एवं गुरुवार) को खुली रहेंगी।
52. इस कड़िका में निम्न संशोधन किया जाता है :-
नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित होटल सप्ताह में 02 दिवस (मंगलवार एवं गुरुवार) को खुली रहेंगी, किन्तु संचालक ग्राहक को बैठाकर नहीं खिला सकेंगे, केवल पैकड फूड ही उपलब्ध करायेंगे।
53. इस कड़िका में निम्न संशोधन किया जाता है :-
मोबाईल शॉप एवं फूटवियर की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (बुधवार एवं शुक्रवार) को खुली रहेंगी।
54. लकड़ी-बांस टॉल एवं आरामील सप्ताह में 02 दिवस (बुधवार एवं शुक्रवार) को खुली रहेंगी।
55. सेलून, नाई की दुकान, सप्ताह में 02 दिवस (सोमवार एवं गुरुवार) को खुली रहेंगी।
संचालक अपने दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वच्छता के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। सेलून के सभी कर्मों को मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग आवश्यक होगा। एक समय में दुकान के अंदर केवल सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति को ही बिठा सकेंगे। बाहर बैठने वाले ग्राहकों को मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। हर बार साफ सुथरे कपड़े का उपयोग करेगा। उपयोग की जाने वाली समस्त सामग्रियों को हर बार अच्छे से सेनेटाईज किया जाएगा। डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाए एवं एक बार उपयोग के बाद उसे पुनः उपयोग में न लिया जाये। सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाईल नंबर का ब्यौरा अनिवार्यतः रखना होगा। सभी संभावित सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जायेगा।
उपरोक्त सभी दुकानें/सेवाएं सुबह 09.00 बजे से लेकर दोपहर 02.00 बजे तक ही खुलेंगी।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।



04/ कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश,

- क्रमांक 208/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 24.03.2020
 - क्रमांक 238/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 31.03.2020
 - क्रमांक 259/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 09.04.2020
 - क्रमांक 295/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 21.04.2020
 - क्रमांक 313/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 24.04.2020
 - क्रमांक 353/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 04.05.2020
 - क्रमांक 355/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 05.05.2020
- के अनुक्रम (Continuation) में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कलेक्टर 07/05
जिला दण्डाधिकारी
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 07/05/2020

पृ क्रमांक/361/क/एस.डब्ल्यू./2020

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. सचिव, छ.ग. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. आयुक्त, रायपुर सभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
06. पुलिस अधीक्षक महासमुन्द को सूचनार्थ।
07. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ।
12. संबंधित व्यापारी संघ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. सहायक संचालक, जनसंपर्क महासमुन्द को समाचार-पत्र में प्रकाशनार्थ।



कलेक्टर 07/05
जिला दण्डाधिकारी
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)